



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1758]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2017/आषाढ़ 1, 1939

No. 1758]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2017/ASHADHA 1, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

सं. 10/2015-2020

**विषय:** चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक।

**का.आ. 1977(अ).**—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, आईटीसी (एचएस) 2012, की अनुसूची 1 (आयात नीति) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (संघटक के रूप में दुग्ध अथवा दुग्ध पाउडर से युक्त चॉकलेटों और चॉकलेट उत्पादों तथा कैंडीज/कनफैक्शनरी/खाद्य निर्मितियों सहित) के आयात पर अधिसूचना सं. 12 /2015-2020, दिनांक 24.06.2016 के अनुसार दिनांक 23.06.2017 तक रोक है।

3. इस मामले की समीक्षा की गई है और उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में यथा उल्लिखित चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक को एक और वर्ष के लिए अर्थात् 23.06.2018 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

4. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (संघटक के रूप में दुग्ध अथवा दुग्ध पाउडर से युक्त चॉकलेटों और चॉकलेट उत्पादों तथा कैंडीज/कनफैक्शनरी/खाद्य निर्मितियों सहित) के आयात पर रोक को एक और वर्ष के लिए अर्थात् 23.06.2018 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

[फा. सं. 01/93/180/898/एम99/पीसी-2(ए)]

अजय कुमार भल्ला, महानिदेशक विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2017

**No.10/2015-2020****Subject:** - Prohibition on import of milk and milk products from China.

**S.O. 1977(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby, makes the following amendment in ITC (HS) 2012, Schedule 1 (Import Policy):

2. The prohibition on import of milk and milk products (including chocolates and chocolate products and candies/ confectionary/ food preparations with milk or milk solids as an ingredient) from China is effective till 23/06/2017 as per the Notification No. 12/2015-2020 dated 24/06/2016.

3. The matter has been reviewed and the prohibition on import of milk and milk products, as mentioned in paragraph 2 above, from China is extended for one more year, i.e., till 23.6.2018 or until further orders, whichever is earlier.

4. Effect of this Notification:

Prohibition on import of milk and milk products (including chocolates and chocolate products and candies/ confectionary/ food preparations with milk or milk solids as an ingredient) from China is extended for one more year, i.e., till 23.6.2018 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 01/93/180/898/AM99/PC-2 (A)]

AJAY KUMAR BHALLA, Director General of Foreign Trade